न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/265

1. प्रभू आयु 70 साल आत्मज घांसी जी जाति कराड निवासी ग्राम रोणिजा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. हीरालाल आुय 40 साल
3. रामसिंह आयु 22 साल पिसरान प्रभू जी जाति कराड निवासी ग्राम रोणिजा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. दुर्गालाल
5. बाबूलाल पिसरान गोपाल जाति कराड निवासी ग्राम रोणिजा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

———अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती केसर पुत्री सालगा पत्नी लक्खा जाति बलाई निवासी ग्राम गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. श्रीमती शांति पुत्री सालगा पत्नी गेन्दीलाल जाति बलाई निवासी ग्राम गोठडा तहसील हिण्डोली जिल बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. महावीर
   2/2. सुरेश
   2/3. गेन्दीलाल पति शांतिबाइ जाति बलाई निवासी ग्रमा गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. श्रीमती मुन्नी पुत्री सालगा पत्नी लाल जाति बलाई निवासी बालचन्द पाडा बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।
4. श्रीमती गलकू पुत्री सालगा पत्नी भूरा जाति बलाई निवासी ग्राम गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. श्रीमान् तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी ।
6. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कैलाश चन्द नामधराणी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 02.09.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद बाबत् खातेदारी अधिकार घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर कथन किया कि ग्राम रोणिजा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में खसरा नम्बर 1376 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 1377 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि के पूर्व खातेदार घांसी आत्मज माधो का देहान्त हो गया है । वादी प्रभू, घांसी जी का पुत्र एवं वादी हीरालाल व रामसिंह घांसीजी के पौत्र हैं । वादीगण स्वर्गीय घांसी जी के उत्तराधिकारी हैं । उक्त भूमि को घांसी आत्मज माधो खेती करते थे तथा उनके देहान्त के बाद वादीगण बहैसियत खातेदार निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । वादग्रस्त आराजी में वादीगण क्रम 1 से 3 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा तथा वादी क्रम 4 व 5 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा है । वादीगण सम्पूर्ण भूमि पर संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे हैं । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण क्रम 1 से 4 के पिता स्वर्गीय श्री सालगा के खाते में दर्ज है । सालगा का उक्त भूमि पर उनके जीवनकाल में कभी भी कब्जा नहीं रहा है । वादीगण उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार बन चुके हैं ।

3. अतः वादीगण को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि वादी के नाम खातेदारी में दर्ज की जावे तथा प्रतिवादीगण क्रम 1 से 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें तथा वादग्रस्त आराजी के किसी भी भाग पर जबरन कब्जा नहीं करे एंव उक्त भूमि से वादीगण को बेदखल नहीं करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2015 वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2015 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण तलबी हेतु नियत था । अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण को बुलाकर उनके आदेशिका पर हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी करवा लिये और उक्त वाद को लोक अदालत में निर्णय पारित कर वादीगण का वाद खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट वादीगण ने रेस्पोडेन्ट प्रतिवादीगण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में खातेदारी अधिकार घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद वादग्रस्त आराजी के बाबत् पेश किया । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद वास्ते इंतजार तलबी में लम्बित था और इसमें अगामी तारीख पेशी दिनांक 01.07.2015 नियत की थी और इससे पूर्व ही उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित कर दिया ।

सीपीसी की पालना नहीं की गई है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्टगण का पिछले 40 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से निर्णय पारित किया है । वादीगण अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट को बेचान कर चुके हैं जिसके आधार पर इंतकाल संख्या 262 से आराजी रेस्पोडेन्ट के खाते दर्ज हुई है । अपीलान्ट का हक अधिकार वादग्रस्त आराजी में निहित नहीं है । रेस्पोडेन्ट ने फर्द के साथ नकल जमाबन्दी संवत् 2076–2079 की पेश की है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से निर्णय एवं डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2015 बहाल रखे जावें ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अपीलान्ट वादीगण ने रेस्पोडेन्ट प्रतिवादीगण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में खातेदारी अधिकार घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद वादग्रस्त आराजी के बाबत् पेश किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली वास्ते इंतजार तलबी में लम्बित थी और इसमें अगामी तारीख पेशी दिनांक 01.07.2015 नियत की थी और इससे पूर्व ही उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित कर दिया । लोक अदालत में प्रभूलाल की अंगूठा निशानी एवं दुर्गालाल व बाबूलाल के हस्ताक्षर कराये गये हैं । शेष पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं । पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का कोई राजीनामा भी नहीं हुआ है । जहॉ तक रेस्पोडेन्ट के विद्धान् अभिभाषक की ओर से पेश की गई फोटो प्रति नकल जमाबन्दी है, इसके आधार पर अपील के स्तर पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता क्योंकि इसकी प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय में प्रदर्शित करना व अपीलान्ट को रिबटल में दस्तावेज पेश करने का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि जमाबन्दी के नोट में नामान्तरकरण अंकित है परन्तु नामान्तरकरण की प्रति भी पेश नहीं की है जिससे स्पष्ट हो सके कि किस आधार पर आराजी उनके खाते दर्ज हुई ।

10. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2015 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि समस्त पक्षकारान को सुनवाई एवं जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट

विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 21.10.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 02.09.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

2/9/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा